

## विशेष शाखा : दिल्ली पुलिस

### पासपोर्ट, चरित्र और पूर्ववृत्त से संबंधित सत्यापन और पुलिस निकासी प्रमाण पत्र

सत्यापन सेवाएँ निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं:

#### 1. पासपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) :

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली में काम कर रही है और पासपोर्ट सेवा केंद्रके माध्यम से ऑनलाइन [www.passportindia.gov.in](http://www.passportindia.gov.in) प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन से संबंधित है।

#### (क) आप नए पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं :-

- (i) विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) की वेबसाइट पर जाएं अर्थात् [www.passportindia.gov.in](http://www.passportindia.gov.in)
- (ii) लिंक खोलें और व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र भरें। विस्तृत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं, निर्देश और दस्तावेज भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन (ऑनलाइन) ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- (iii) पुलिस सत्यापन के लिए जमा करने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

#### (बी) जन्म तिथि का प्रमाण: -

26.01.1989 को या उसके बाद पैदा हुए सभी आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा करना था (डीओबी)।

- (i) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र यानगर निगम।
- (ii) स्थानांतरण/स्कूल छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।
- (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड।
- (iv) आवेदक की जन्मतिथि वाला आधार कार्ड।
- (v) परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- (vi) चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)

#### (सी) रहने/निवास प्रमाण/राष्ट्रीयता:-

निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक आवश्यक है:-

- (i) टेलीफोन/बिजली/पानी के बिल।
- (ii) आधार कार्ड।

- (iii) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)।
- (iv) बैंक खातों का विवरण।
- (v) आयकर निर्धारण आदेश।
- (vi) पति या पत्नी के पासपोर्ट की कॉपी, अवयस्कके मामले मेंमाता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी।
- (vii) एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाणपत्र।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।
- (ix) शस्त्र लाइसेंस।
- (x) संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, पंजीकृत विलेख आदि।
- (xi) पेंशन दस्तावेज।
- (xii) विवाह प्रमाण पत्र या संयुक्त शपथ पत्र (पति / पत्नी) विधिवतनोटरी द्वारा सत्यापित (शादी के बाद महिला के पासपोर्ट में उपनाम के परिवर्तन के आवेदक)।

**(डी) अन्य उल्लेखनीय बिंदु: -**

- (i) ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन के लिए पिता के केवल एक नाम या माता या कानूनी अभिभावककी आवश्यकता है।
- (ii) सभी अनुलग्नक कोरा कागज़पर स्व घोषणा के रूप में होंगे।
- (iii) विवाहित आवेदकों को अनुलग्नक"के" प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगीया कोई विवाह प्रमाण पत्र। उक्त अनुबंध विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी [www.passportindia.gov.in](http://www.passportindia.gov.in) पर उपलब्ध है
- (iv) पासपोर्ट आवेदन पत्र के लिए आवेदक को अलग होने की स्थिति में यातलाकशुदा व्यक्तिहोने की स्थितिअपने पति या पत्नी का नाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (v) अनाथ बच्चे अब अनाथालय/बाल देखभाल गृह के प्रमुखद्वारा दी गई घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (vi) विवाह से बाहर पैदा होने वाले बच्चों के मामले में, केवल अनुलग्नक-"जी"जमा करने की आवश्यकता है। उक्त अनुबंध विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी [www.passportindia.gov.in](http://www.passportindia.gov.in)पर उपलब्ध है।
- (vii) गोद लिए गए बच्चों के मामले में, आवेदक गोदलेने की पुष्टिएक सादे कागज परघोषणापत्र द्वारा दे सकता है।
- (viii) सरकारी कर्मचारी अनुलग्नक"एन"में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैंकि उसनेनियोक्ता को उसके लिए पूर्व सूचना पत्र दिया है। उक्त अनुबंध विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी [www.passportindia.gov.in](http://www.passportindia.gov.in) पर उपलब्ध है।
- (ix) साधु/सन्यासी अभिभावन के रूप में अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम के साथ पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- (ड) फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको निम्नलिखित पीएसके में से किसी भी समय अप्वाइंटमेंट की तारीख मिल जाएगी :-
- (i) अग्रवाल टॉवर, प्लॉट नंबर 2, जिला केंद्र, शालीमार प्लेस, बाहरी रिंग रोड (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली।
  - (ii) हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
  - (iii) हुडको त्रिकूट-III, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
- (च) अप्वाइंटमेंट की तारीख को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ पीएसके पर जाएं
- (छ) सभी बायोमैट्रिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपकी फाइल जमा हो जाएगी और आपको एक रसीद मिलेगी।
- (ज) आपको पासपोर्ट कार्यालय से एक संदेश प्राप्त होगा कि आपकी फाइल जमा कर दी गई है और पुलिस सत्यापन के लिए संबंधित जिलामे भिजवा दी गई है।
- (i) पीपी फॉर्म की शुरुआत के 21 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस (विशेषशाखा) द्वारा पुलिस सत्यापन किया जाएगा।
  - (जे) पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आरपीओ को भेजी जाएगी।
- 2. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (सीवीआर) सरकार/अर्द्ध सरकारके लिए , पीएसयू सेवाएं और पीएसवी बैज के लिए) :**

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रममें रोजगार के लिए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्तके सत्यापन से संबंधित है। सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य सरकार विभागोंके अनुरोध पर भी कर्मचारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन भी किया जाता है।

- (ए) ऑनलाइन चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (सीवीआर) के लिए आवेदन कैसे करें :-
- (i) दिल्ली पुलिस की वेबसाइट <http://www.delhipolice.nic.in> खोलें और सीवीआर पोर्टल चुनें।
  - (ii) सीवीआर के लिए आवेदन करने से पहले कृपया वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए निर्देशों और उपयोगकर्ता पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ें।
  - (iii) "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें।
  - (iv) एक बार पंजीकृत होने के बाद लॉगिन विकल्प पर जाएं।

- (v) अब आवेदन पत्र में उम्मीदवारों के सभी विवरण भरें। विवरण के लिए (अनुलग्नक- "ए" ) देखें।
- (vi) सेव करने से पहले अपनी डिटेल चेक कर लें।
- (vii) एक बार सहेजे जाने के बाद और यदि आप एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना चाहते हैं "नया जोड़ें" विकल्प चुन सकते हैं अन्यथा सबमिट विकल्प का उपयोग करें।
- (viii) निजी फर्मों/निदेशकों के मामले में, आपको "अभी भुगतान करें" पर क्लिक करना होगा और भुगतान करें (अनुलग्नक- "बी" देखें)।
- (ix) भुगतान गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्डका उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।।
- (x) सफल भुगतान के बाद भुगतान रसीद जनरेट होगी।
- (xi) "स्थिति देखें" पर क्लिक करके स्थिति संबंधित विभाग उसकी रसीद प्रिंट कर सकता है या देख सकता है।
- (xii) ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी (ई.ओ.) फील्ड सत्यापन/पूछताछ करेगा।
- (xiii) सीवीआर के सत्यापन कार्य को एक निरीक्षक के तहत पुलिस जिलों की तर्ज पर निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (अनुलग्नक- "सी" देखें)।
- (xiv) फील्ड पूछताछ के समय आवेदक की उपस्थिति आवश्यक है
- (xv) दस्तावेजी प्रमाण/क्षेत्र के आधार पर सीवीआर जारी किया जाएगा।
- (xvi) सत्यापन पूरा होने के बाद, निरीक्षण/क्षेत्र अद्यतन कंप्यूटर में रिपोर्ट अपडेट करेगा
- (xvii) इसके बाद मुख्यालय द्वारा एक सीवीआर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (xviii) सीवीआर की समय अवधि 21 दिन है।
- (xix) संबंधित विभाग डाउनलोड विकल्प पर क्लिक कर सीवीआर डाउनलोड कर सकता है।

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट [www.delhipolice.gov.in](http://www.delhipolice.gov.in) भी उपयोगकर्ता विभागों को इसका उपयोग कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से करने में मदद करने के लिए सीवीआर पोर्टल में मैनुअल और एफएक्यू आवेदन प्रदान करती है।

एक हेल्पलाइन नंबर 011-23236234 और साथ ही ई-मेल आईडी [dpcvr-sb-dl@nic.in](mailto:dpcvr-sb-dl@nic.in) किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्थापित / प्रदान किया गया है।

### (3) पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी)

विशेष शाखा का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सेल (पीसीसी सेल) किसी व्यक्ति या संगठन को ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करने से संबंधित है जिसे रोजगार (निजी नौकरी), उत्प्रवास / वीजा उद्देश्यों और दिल्ली के निवासियों जो अब विदेश में रह रहे हैं पुलिस क्लियरेंस की आवश्यकता होती है।

(ए) ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन कैसे करें :-

- (i) दिल्ली पुलिस की वेबसाइट [www.delhipolice.nic.in](http://www.delhipolice.nic.in) खोलें और पीसीसी पोर्टल पर जाएं।
- (ii) पीसीसी के लिए आवेदन करने से पहले निर्देशों और उपयोगकर्ता पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- (iii) "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी सबमिट करें।
- (iv) ईमेल आईडी सबमिट करने के बाद "मुझे सत्यापन कोड भेजें" विकल्प पर क्लिक करें।
- (v) आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर 06 अंकों का सत्यापन कोड प्राप्त होगा उसे सबमिट करें।
- (vi) उसके बाद स्क्रीन पर एक "रजिस्ट्रेशन फॉर्म" दिखाई देगा। उपयोगकर्ता प्रकार "व्यक्तिगत या संगठन" का चयन करे।
- (vii) पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक विवरण भरें और "साइन अप" बटन पर क्लिक करें।
- (viii) पीसीसी के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन पेज पर जाएं।
- (ix) व्यक्ति/संगठन द्वारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- (x) विवरण दर्ज करें (अनुलग्नक- "डी" देखें)।
- (xi) आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद विवरण की जांच करें और सेव करें।
- (xii) सेव करने के बाद भुगतान करने के लिए "अभी भुगतान करें" बटन पर क्लिक करें (शुल्क के लिए अनुलग्नक- "ई" देखें)।
- (xiii) उसकी भुगतान विधि (कार्ड प्रकार) का चयन करें और अभी भुगतान करें पर क्लिक करें।
- (xiv) क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।
- (xv) सफल भुगतान के बाद एक भुगतान रसीद तैयार की जाएगी।
- (xvi) आप व्यू स्टैटस पर क्लिक करके रसीद का प्रिंट ले सकते हैं या स्टैटस देख सकते हैं।
- (xvii) ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी (ई.ओ.) फील्ड सत्यापन/पूछताछ करेगा।
- (xviii) पीसीसी के सत्यापन कार्य को एक निरीक्षक के तहत पुलिस जिलों की तर्ज पर निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है (अनुलग्नक- "सी" देखें)।

- (xix) फील्ड पूछताछ के समय आवेदक की उपस्थिति आवश्यक है।
- (xx) यदि आवेदक विदेश में रहता है और पीसीसी की मांग करता है, तो आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
- (xxi) दस्तावेजी प्रमाण/क्षेत्र के आधार पर पीसीसी जारी किया जाएगा।
- (xxii) रिपोर्ट/पूछताछ को अद्यतन करने के बाद, विशेष शाखा का प्रधान कार्यालय पीसीसी प्रमाणपत्र जारी करेगा और इसे आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजेगा।
- (xxiii) आवेदक/संगठन डाउनलोड विकल्प पर क्लिक कर पीसीसी डाउनलोड कर सकते हैं।
- (xxiv) रोजगार (निजी नौकरी) के लिए 21 कार्य दिवसों में पीसीसी जारी किया जाएगा और उत्प्रवास / बीजा प्रयोजनों के लिए 07 कार्य दिवस।

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट [www.delhipolice.gov.in](http://www.delhipolice.gov.in) भी उपयोगकर्ता विभागों को इसका उपयोग कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से करने में मदद करने के लिए पी सी सी पोर्टल में मैनुअल और एफएक्यूआवेदन प्रदान करती है।

एक हेल्पलाइन नंबर 011-23236234 और साथ ही ई-मेल आईडी [dpcvr-sb-dl@nic.in](mailto:dpcvr-sb-dl@nic.in) किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्थापित / प्रदान किया गया है।

पासपोर्ट आवेदन (पीवीआर) के साथ-साथ चरित्र और पूर्ववृत्त (सीवीआर) और पुलिस निकासी प्रमाणपत्र (पीसीसी) जोन-वार स्थापित होते हैं (नीचे दिए गए 15 जोन के नाम)। ये क्षेत्र दिल्ली पुलिस के जिलों के अधिकार क्षेत्र के साथ हैं: -

क्रमांक न.	ज़ोन का नाम	स्थित हैं
१	नई दिल्ली ज़ोन	पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
२	पूर्वी ज़ोन	पहला तल, पुलिस थाना शकर पुर, दिल्ली
३	उत्तर पूर्वी ज़ोन	पुलिस थाना सीलम पुर, दिल्ली
४	उत्तरी ज़ोन	पुलिस थाना तीमार पुर, दिल्ली
५	उत्तर पश्चिम ज़ोन	पुलिस थाना मॉडल टाउन, दिल्ली
६	बाहरी ज़ोन	पीतम पूरा पुलिस लाइन, दिल्ली
७	बाहरी उत्तर ज़ोन	पुलिस थाना अमन विहार, सेक्टर २२, रोहिणी दिल्ली
८	मध्य ज़ोन	पुलिस थाना पहाड़ गंज, नई दिल्ली
९	पश्चिमी ज़ोन	पुलिस थाना तिलक नगर, दिल्ली

१०	दक्षिणी ज़ोन	पहली मंजिल साकेत कॉम्प्लेक्स अनुपम पीवीआर सिनेमा साकेत के पीछे
११	दक्षिण पूर्व ज़ोन	पुलिस पोस्ट नेहरू प्लेस कालकाजी नई दिल्ली
१२	दक्षिण पश्चिम ज़ोन	पुलिस थाना माया पूरी दिल्ली
१३	रोहिणी ज़ोन	पुलिस थाना अमन विहार सेक्टर २२ रोहिणी दिल्ली
१४	शाहदरा ज़ोन	पुलिस थाना सीमा पूरी, दिल्ली
१५	द्वारका ज़ोन	पुलिस थाना माया पूरी, दिल्ली

जोनल एसीपी/इंस्पेक्टरों का विवरण और उनके आधिकारिक टेलीफोन संख्या इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	जोन का नाम	आंचलिक पर्यवेक्षण अधिकारी का पद	मोबाइल न.	कार्यालय (लैंडलाइन)
1.	दक्षिण ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750066133	011-26148883
		निरीक्षक	8750066123	
2.	दक्षिण-पूर्व ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871133	011-26210100 011-26283239
		निरीक्षक	8750066126	
3.	दक्षिण पश्चिम ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750066618	0 11-28115119 011-28113006
		निरीक्षक	8750066316	
4.	पश्चिम ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871609	011-25133050 011-25133051
		निरीक्षक	8750066201	
5.	उत्तर-पश्चिम ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871603	011-27464945 011-27411255
		निरीक्षक	8750066205	
6.	उत्तरी ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871603	011-23813511 011-23813348
		निरीक्षक	8750066229	
7.	बाहरी ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871607	011-27029902 011-27029903
		निरीक्षक	8750066290	
8.	मध्य ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	9810808688	011-23536466
		निरीक्षक	8750066318	
9.	पूर्वी ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	9810808688	011-22019600 011-22420387
		निरीक्षक	8750066240	
10.	उत्तर-पूर्व ज़ोन	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871612	011-22560799 011-22821767
		निरीक्षक	8750066277	
11.	नई दिल्ली	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871609	011-23344964 011-

	ज़ोन	निरीक्षक	8750066262	23367945
12.	रोहिणी क्षेत्र	सहायक पुलिस आयुक्त	8130849877	011-27581102
		निरीक्षक	8750066311	
13.	शाहदरा क्षेत्र	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871612	011-22131395
		निरीक्षक	8750066308	
14.	द्वारका क्षेत्र	सहायक पुलिस आयुक्त	8750066318	011-28115119 011-28113006
		निरीक्षक	8750066220	
15.	बाहरी-उत्तर क्षेत्र	सहायक पुलिस आयुक्त	8750871607	
		निरीक्षक	8750066315	

फीडबैक फार्म लिंक और डाउनलोड केवल मेल द्वारा भेजे

क्रमांक न.	अफसर का नाम	ईमेल पत्ता
१	विशेष आयुक्त/ इंटेलिजेंस	<a href="mailto:splcp-int-dl@nic.in">splcp-int-dl@nic.in</a>
२	संयुक्त आयुक्त/ विशेष शाखा	<a href="mailto:jtcp-sb-dl@nic.in">jtcp-sb-dl@nic.in</a>
३	उपायुक्त/ विशेष शाखा	<a href="mailto:dcp-splbranch-dl@nic.in">dcp-splbranch-dl@nic.in</a>
४	अतिरिक्त उपायुक्त / विशेष शाखा	<a href="mailto:adddcpspecialbranch@gmail.com">adddcpspecialbranch@gmail.com</a>
५	स.आ.पु./ दक्षिण जोन	<a href="mailto:dpsbsz@gmail.com">dpsbsz@gmail.com</a>
६	स.आ.पु. / दक्षिण-पूर्व जोन	<a href="mailto:dpsbsez@gmail.com">dpsbsez@gmail.com</a>
७	स.आ.पु. / दक्षिण-पश्चिम जोन	<a href="mailto:dpsbswz@gmail.com">dpsbswz@gmail.com</a>
८	स.आ.पु. / पश्चिम जोन	<a href="mailto:dpsbwz@gmail.com">dpsbwz@gmail.com</a>
९	स.आ.पु. / उत्तर पश्चिम जोन	<a href="mailto:dpsbnwz@gmail.com">dpsbnwz@gmail.com</a>
१०	स.आ.पु / उत्तरी जोन	<a href="mailto:dpsbnz@gmail.com">dpsbnz@gmail.com</a>
११	स.आ.पु. / बाहरी जोन	<a href="mailto:dpsboz@gmail.com">dpsboz@gmail.com</a>
१२	स.आ.पु. / बाहरी उत्तरी जोन	<a href="mailto:dpsbonz@gmail.com">dpsbonz@gmail.com</a>
१३	स.आ.पु. / मध्य जोन	<a href="mailto:dpsbcentralzone06@gmail.com">dpsbcentralzone06@gmail.com</a>
१४	स.आ.पु. / पूर्वी जोन	<a href="mailto:dpsbez@gmail.com">dpsbez@gmail.com</a>
१५	स.आ.पु. / नॉर्थ ईस्ट जोन	<a href="mailto:dpsbnez@gmail.com">dpsbnez@gmail.com</a>
१६	स.आ.पु./ नई दिल्ली जोन	<a href="mailto:dpsbzsb@gmail.com">dpsbzsb@gmail.com</a>
१७	स.आ.पु. / रोहिणी क्षेत्र	<a href="mailto:dpsbrohinizone@gmail.com">dpsbrohinizone@gmail.com</a>
१८	स.आ.पु/ शाहदरा जोन	<a href="mailto:dpsbshahzone@gmail.com">dpsbshahzone@gmail.com</a>
१९	स.आ.पु./ द्वारका जोन	<a href="mailto:dpsbswz@gmail.com">dpsbswz@gmail.com</a>

## पाकराष्ट्रीय के लिए पंजीकरण के निर्देश / दिशानिर्देश :

भारत-पाकबीजा समझौते 2012 के आधार पर, भारत में पाक नागरिकों की यात्रा और आवाजाही पर नियंत्रण है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एकट्रेन "समझौता एक्सप्रेस" और "दिल्ली लाहौर बस" शुरू करके दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा दी गई ताकि दोनों देश के नागरिक भारत और पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिल सकें।

### नागरिक प्राधिकरण :

पुलिस विशेष शाखा, दिल्ली पुलिसके उपायुक्त 1974 में नियुक्त पाक राष्ट्रीय के संबंध में नागरिक प्राधिकरण है और जहां तक दिल्ली का सवाल है, उन्हें पाक नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। डीसीपी/विशेष शाखा का कार्यालय है दिल्ली पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में है।

### नियमित आवासीय परमिट (आरआरपी) जारी करना :

, दिल्ली पुलिसकी विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त, ने विदेशी पंजीकरण अधिकारीके रूप में दिल्ली आने वाले पाक नागरिकों को आर.आर.पी (नियमित आवासीय परमिट) जारी किया है।

पाक नागरिक को भारत पहुंचने के 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस भवन में पाक अनुभाग/विशेष शाखा, भूतल पर रिपोर्ट करना आवश्यक है, और नियमित आवासीय परमिट प्राप्त करने के लिए वीजा और आप्रवासन दस्तावेज जमा करें और दिल्ली में रहने का सही पता दें।

- (i) ठहरने के दौरान पते में कोई भी परिवर्तन तत्काल पाक अनुभाग में दी जानी चाहिए।
- (ii) वीजा में बताए गए स्थानों को छोड़कर दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
- (iii) सभी प्रस्थानों की सूचना इरादा प्रस्थान से 24 घंटे पहले इस कार्यालय में दी जानी है।
- (iv) वीजा के विस्तार, अतिरिक्त स्थान और परिवर्तन के लिए आवेदनरूट आदि [www.indiafro.gov.in](http://www.indiafro.gov.in) पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
- (v) संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पाक नागरिक किसी भी सेवा या व्यापार में खुद को शामिल नहीं कर सकते हैं।
- (vi) वीजा नियमों का उल्लंघन करना विदेशी अधिनियमके अंतरगर्त दंडनीय अपराध है।

- (vii) पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के खो जाने की सूचना तत्कालनजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए।
- (viii) किसी भी समस्या के मामले में कृपया निरीक्षक/पाक अनुभाग से संपर्क करें,दिल्ली पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002।

पाक नागरिक जो समय से अधिक रहता है या खुद को 24 घंटे के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराता है। उसे जुर्माना देना होगा या विदेशी अधिनियम के अनुसार निपटा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

पाक अनुभाग, विशेष शाखा, दिल्ली के टेलीफोन नंबरपुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली का विवरण इस प्रकार है: -

- (i) 011-23218260  
(ii) 011-23211049

**एफआरओ (पाक अनुभाग) का कार्यालय सप्ताह के सभी दिनसुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहता है।**

एक पाक नागरिक वैध वीजा पर दिल्ली आता है और भारत मे लंबी अवधि के लिए रहना चाहता है उसे [www.indiafro.gov.in](http://www.indiafro.gov.in) पर आवेदन करना होगाऔर दी गई तारीख को एफआरओ (पाक अनुभाग) दिल्ली पुलिस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्लीके कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

## अनुलग्नक - "ए"

### सीवीआर आवेदन पत्र के लिए विवरण

- संगठन का नाम भरें
- आवेदक का नाम और उपनाम, यदि कोई हो।
- पिता का नाम
- माता का नाम
- वैवाहिक स्थिति
- जीवनसाथी का नाम
- ब्लड ग्रुप
- जन्म स्थान
- आवेदक की जन्म तिथि
- लिंग
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक की ईमेल आईडी
- राष्ट्रियता
- धर्म
- अवधि के साथ वर्तमान पता
- स्थाई पता
- "एड बटन" का उपयोग करके एक से अधिक पते जोड़ें (यदि आवश्यक हो तो दिल्ली का पिछला / अन्य पता)।
- पुलिस स्टेशन (आवेदक/संगठनसंबंधित थाना का नाम भरें)।
- जिला (स्वचालित रूप से चयनित जिला)।
- आपराधिक मामले का विवरण (हाँ या नहीं विकल्प चुने, यदि हाँ है तो कहीं भी पंजीकृत / दर्ज मामले के सभी विवरण प्रस्तुत करें)।
- श्रेणी

### निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है:

1. एक तस्वीर संलग्न करें (20kb से कम)।
2. फोटो पहचान प्रमाण (200 से कम) के लिए दस्तावेज़ का चयन करें (केबी)।
3. आवासीय पता प्रमाण (200 केबी से कम)।

नोट: फोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए और अन्य दस्तावेजों जेपीजी/पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेजों को स्कैनर से ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक - "बी"**

**सीवीआर आवेदन शुल्क के लिए विवरण**

सरकारी/अर्ध सरकारी और पीएसयू के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, जबकि निजी फर्मों के लिए आवेदन शुल्क 500/- रुपये है निजी कर्मचारी 250 / - रुपये है।

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक - "सी"

### अंचलों/विशेष शाखाओं का विवरण

- (1) नई दिल्ली क्षेत्र
- (2) पूर्वी क्षेत्र
- (3) उत्तर-पूर्व क्षेत्र
- (4) उत्तर क्षेत्र
- (5) उत्तर-पश्चिम क्षेत्र
- (6) बाहरी क्षेत्र
- (7) बाहरी-उत्तर क्षेत्र
- (8) मध्य क्षेत्र
- (9) पश्चिम क्षेत्र
- (10) दक्षिण क्षेत्र
- (11) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र
- (12) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र
- (13) रोहिणी क्षेत्र
- (14) शाहदरा क्षेत्र
- (15) द्वारका क्षेत्र

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक - "डी"

### पीसीसी आवेदन पत्र के लिए विवरण

- आवेदक का नाम
- पुत्र, पुत्री या पत्नी
- जन्म तिथि
- आवेदक का पता (केवल दिल्ली का वर्तमान/अंतिम पता) के साथरहने की अवधि।
- एक से अधिक पते जोड़ें (पिछला / अन्य पता, दिल्ली, यदि आवश्यक हो) "ऐड बटन" का उपयोग करके)।
- राष्ट्रियता
- आधार कार्ड नं.
- पुलिस स्टेशन (आवेदक/संगठनसंबंधित थाना का नाम भरें)।
- जिला (स्वचालित रूप से चयनित जिला)।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी  
(मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाया गया है जैसा कि आवेदन जमा करने के समय यहां दिया गया है)।
- पीसीसी का प्रकार (आवेदक/संगठन रोजगार या उत्प्रवास उद्देश्य का चयन कर सकता है)।
- यदि उत्प्रवास उद्देश्य का चयन किया गया है तो दूतावास या पासपोर्ट विवरण जमा करे।
- लिंग
- निजी संगठन विवरण (आवेदन पत्र जमा करने के समय दिया गया नाम, पता और फोन, कंपनी या संगठन के नंबरों को डिफ़ॉल्ट के रूप में दिखाया गया है)।
- आपराधिक मामले का विवरण (हाँ या नहीं विकल्प चुने, यदि हाँ है तो कही भी पंजीकृत / दर्ज मामले के सभी विवरण प्रस्तुत करे)।

पीसीसी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है:

1. एक तस्वीर संलग्न करें (20kb से कम)।
2. आवासीय प्रमाण (200 केबी से कम) के लिए दस्तावेज़ का चयन करें।

3. पीसीसी की आवश्यकता वाले एजेंसी का पत्र संलग्न करें या स्वयं लिखित पीसीसी अनुरोध पत्र या पीसीसी की जांच सूची जमा करें (200 केबी से कम)।
4. यदि किरायेदार है, तो रेंट एग्रीमेंट (200 केबी से कम) संलग्न करें।

नोट: फोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए और अन्य दस्तावेजों जेपीजी/पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेजों को स्कैनर से ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*

### अनुलग्नक - "ई"

#### पीसीसी आवेदन शुल्क के लिए विवरण

आवश्यक शुल्क रु. 250/- प्रति व्यक्ति के लिए और रु. 500/- संगठन के लिए प्लस बैंक शुल्क।

\*\*\*\*\*